

FIVE RUPE

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्र. क्र. 112 निगरानी - R 4118- PBR/12

श्री. ~~श. रा. सी. शर्मा~~ द्वारा आज दि. 5-12-12 को प्रस्तुत

~~5-12-12~~
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

राजेन्द्रसिंह पुत्र भगवानसिंह

नि० नाका चन्द्रवदनी लशकर ग्वा०

- प्रार्थी

बनाम

1. बादामी बाई पत्नी हरचरन

नि० बरौआ तहसील व जिला ग्वा०

- असल प्रतिप्रार्थी

2. रामदास पुत्र श्री भगवानसिंह

नि० विक्की पेकटी बाराघाटा लशकर

ग्वालियर - तरतीबी प्रतिप्रार्थी

5192/99

निगरानी आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 50 भू.रा. सं. 1959 के तहत ।

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी की निगरानी श्रीमान अपर आयुक्त, ग्वा०

द्वारा प्र. क्र. 333/10-11/निगरानी मे प्रारित आदेश दि. 20-11-12


के विरुद्ध निम्नानुसार प्रस्तुत है-

1- यह कि आदेश अपर आयुक्त, विधि विधान व नियमावली के विपरीत

5.11.2015

आवेदक की ओर से श्री ए०
डी० शर्मा अभिभाषक एवं आवेदक
कुमार की ओर से श्री सी० एम०
सुजा अभिभाषक उपस्थित। यह
सिगामी तहसीलुडा के अंतरिम आदेश
से उद्भूत हुई है। तहसीलुडा उक्त
प्रकार में अंतरिम आदेश पारित
कर दिया गया है, जिसके विरुद्ध
अधिवक्ता आधिकारी के समक्ष
अपील भी लम्बित है। अतः
यह सिगामी निरर्थक होने से
समाप्त भी जाती है।




अधीक्षक